न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.
अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 897/2018

1. सतविन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री गुरजन्ट सिंह जाति जट सिख, निवासीगण चक 9–एच बड़ा, तहसील व जिला श्रीगंगानगरं।
2. कुलविन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री गुरजन्ट सिंह जाति जट सिख, निवासीगण चक 9–एच बड़ा, तहसील व जिला श्रीगंगानगरं।

– – प्राथीगण

–:: बनाम ::–

1. कुलदीप सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह, जाति जट सिख, निवासी चक 9–एच बड़ा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री राजवीर सिंह – – प्रार्थी सं. 1 व 2
2. श्री बलराम स्वामी – – अप्रार्थी 1

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 21.10.2019

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण चक 9––एच बड़ा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के स्थाई निवासी हैं तथा काश्तकार पेशा है। प्रार्थीगण का रकबा चक 9–एच बडा. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 43/45 के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1/2 (0.126 हैक्टेयर) तथा मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 3 (0.177 हैक्टेयर), 4, 5 (0.506 हैक्टेयर), 6 (0.253 हैक्टेयर मय खाला), 7 (0.253 हैक्टेयर मय खाला), 14, 15 (0.506 हैक्टेयर), 16, 17 (0.506 हैक्टेयर), 24, 25 (0.506 हैक्टेयर), कुल 2.277 हैक्टेयर, इस प्रकार दोनों मुरब्बों में कुल 2.833 हैक्टेयर दर्ज कागजात राज है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 का रकबा इसी खाता के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 17/2 (0.127 हैक्टेयर), 18, 19 (0.506 हैक्टेयर), 20 (0.253 हैक्टेयर मय खाला), 21 (0.253 हैक्टेयर मय खाला), 22 ता 25 (1.012 हैक्टेयर), कुल 2.151 हैक्टेयर तथा मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 8 (0.253 हैक्टेयर मय खाला), 13 (0.139 हैक्टेयर), 3(0.063 हैक्टेयर), कुल 0.455 हैक्टेयर, इस प्रकार दोनों मुरब्बों में कुल 2.606 हैक्टेयर दर्ज कागजात राज है। नक्शा व जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न प्रार्थना पत्र हैं। प्रार्थीगण के उक्त रकबा के लिए कोई भी स्वीकृत रास्ता उपलब्ध नहीं है। चक 9–एच बड़ा के मुरब्बा नम्बर 35 में प्रार्थीगण की रिहायश है। प्रार्थीगण अपने रकबा की काश्त करने हेतु आबादी भूमि मुरब्बा नम्बर 35 के साथ लगते मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से जो स्वीकृत रास्ता निकलता है, से चल कर प्रार्थीगण मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 21 तक पहुंचते हैं तथा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

यहां से टर्न होकर मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21 ता 25 में से गुजर कर अपने रकबा तक पहुंचते हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण को अपने रकबा तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक में से 1–1 बिस्वा रास्ता की जायज जरूरत है। यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में उक्तानुसार रकबा दर्ज होने से पूर्व उक्त रकबा यानि चक 9–एच बड़ा के खाता संख्या 43/45, मुरब्बा नम्बर 20(2.277 हैक्टेयर), मुरब्बा नम्बर 21(3.162 हैक्टेयर), कुल 5.439 हैक्टेयर रकबा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के दादा स्व० सन्त सिंह पुत्र श्री बूड़ सिंह के नाम दर्ज कागजात राज था। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के दादा स्व0 सन्त सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त वर्णित रकबा व अपने अन्य रकबा की वसीयत दिनांक 23.08.2004 को प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में करवाई गई। स्व० सन्त सिंह द्वारा चक 9–एच बड़ा के मुरब्बा नम्बर 20 व 21 के रकबा की वसीयत, किला नम्बर दर्ज करते हुए, प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से की गयी थी व उसी अनुसार इन्तकाल संख्या 453 दिनांक 05.06.2018 को प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुआ। इंतकाल संख्या 453 की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। वसीयत के अनुसार प्रार्थीगण को मुरब्बा नम्बर 20 व 21 के प्राप्त होने वाले किलों को रास्ता नहीं लगता था। प्रार्थीगण के दादा स्व० सन्त सिंह ने अपनी वसीयत में यह नोट अंकित करके व्यवस्था की थी कि, "मुरब्बा नम्बर 20 का किला नम्बर 21 ता 25 में 8 फुट का रास्ता कुलदीप सिंह ने छोड़ा है तथा पानी कुलदीप सिंह लगायेगा। रास्ते का उपयोग उपभोग सतविन्द्र सिंह, कुलविन्द्र सिंह, कुलदीप सिंह करेंगे।" स्व० सन्त सिंह द्वारा उक्त नोट कुलदीप सिंह की सहमति से ही अपनी वसीयत में अंकित करवाया था और उक्तानुसार रास्ता देने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 कुलदीप सिंह पूर्णतः सहमत था। इस सम्बन्ध में कुलदीप सिंह द्वारा दिनांक 23.08.2004 को अपनी ओर से एक हल्फनामा भी निष्पादित किया हुआ है। वसीयत एवं हल्फनामा दिनांक 23.08.2004 की फोटोप्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के दादा स्व0 सन्त सिंह द्वारा वर्ष 2004 में अपनी वृद्धावस्था में वसीयत की थी और वर्ष 2004 से ही वसीयत अनुसार रकबा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 को काश्त हेतु दे दिया, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में रकबा स्व० सन्त सिंह के नाम ही दर्ज रहा। वर्ष 2004 में ही अप्रार्थी संख्या 1 कुलदीप सिंह द्वारा वसीयत दिनांक 23.08.2004 व अपने हल्फनामा दिनांक 23.08.2004 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21 ता 25 में से 8 फुट रास्ता (1 बिस्वा) छोड़ दिया जिसका उपयोग प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 वर्ष 2004 से शान्तिपूर्वक करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के दादा स्व0 सन्त सिंह द्वारा अपनी वसीयत में यह व्यवस्था की थी कि प्रत्येक पक्षकार को उसका निर्धारित हक व हिस्सा मिल सके और प्रत्येक पक्षकार को रास्ते की सुविधा मिल सके। इसी अनुसरण में मुरब्बा नम्बर 20 का स्वीकृत रास्ते पर लगता रकबा अप्रार्थी संख्या 1 को दिया गया था और प्रार्थीगण के रकबा के लिए मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21 ता 25 में से 1–1 बिस्वा रास्ते की व्यवस्था बाबत अपनी वसीयत में नोट अंकित किया था। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 को पूर्व में वसीयत में ही मुरब्बा नम्बर 20 का उपजाऊ व स्वीकृत रास्ते पर लगता रकबा मिला हुआ है और उसके रकबा मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21 ता 25 में से छोड़े गये 8 फुट रास्ता की भरपाई पूर्व में ही हो चुकी है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 उक्त रास्ता मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21 ता 25 में से चालू रखने के लिए हर प्रकार से पाबन्द हैं जिसकी भरपाई उसे पूर्व में ही प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के दादा द्वारा उपजाऊ

रकबा देकर की हुई है, लेकिन अब अप्रार्थी संख्या 1 अपने दादा द्वारा छोड़े गये रास्ते में आये दिन बाधा/अवरोध पैदा करता रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपने रकबा में आने–जाने के लिए भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण को कोई भी स्वीकृत रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही सबसे छोटा रास्ता है एवं उक्त रास्ता ही प्रार्थीगण की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण को अपने रकबा में आने–जाने के लिए उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 के अवरोध पैदा करने के कारण उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत करवाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण के रकबा के लिए कोई भी स्वीकृत रास्ता उपलब्ध न होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा मांग किये गये उक्त रास्ते की मांग, सुविधा के लिए न होकर अति आवश्यक है, क्योंकि रास्ता के अभाव में प्रार्थीगण को अपनी भूमि काश्त करने में भारी बाधा पैदा हो रही है, क्योंकि रास्ता न होने के कारण प्रार्थीगण अपनी आराजी मुरब्बा नम्बर 21 व 20 में किसी भी कृषि यन्त्र को नहीं ले जा सकते एवं आज के आधुनिक समय में कृषि संयंत्रों के बिना खेती करना सम्भव ही नहीं है जिस कारण प्रार्थीगण को भारी आर्थिक क्षति हो रही है। अतः प्रार्थीगण मुरब्बा नम्बर 21 व 20 के अपने रकबा में आने–जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक में से पत्थर लाईन पर 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के रकबा चक 9–एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 21 व 20 में आने–जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के रकबा चक 9–एच बड़ा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21–22–23–24–25, प्रत्येक में से 1–1 बिस्वा रास्ता, यानि 8.25 फुट चौड़ाई में पत्थर लाईन के साथ–साथ स्वीकृत करने व कागजात राज में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 20.02.2019 को अप्राथी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तजुत किया गया जिसके तथ्यानुसार यह सही है कि चक 9 एच बडा के खाता सं0 43/45 में मु0 न0 20, 21 का कुल 2.606 हे0 मन अप्रार्थी के नाम दर्ज है, जिसमें मु0 न0 20 के किला न0 21 ता 25 का रकबा भी शामिल है, जिसमें प्रार्थीयान ने रास्ता स्वीकृत करने के लिए आवेदन किया है। प्रार्थना–पत्र की चरण सं0 2 जिस प्रकार से दर्ज की गई है, स्वीकार नहीं है। मु0 न0 35 से जो रास्ता दक्षिण से उतर दिशा को चल रहा है वह मु0 न0 26 के किला न0 21, 20, 11, 10, 1 तथा मु0 न0 19 के किला न0 21, 20, 11, 10, 1 से होता हुआ मु0 न0 10 के किला न0 21, 20 तक स्वीकृत है तथा इसके बाद मु0 न0 10, 9, 8 आदि में से जो नहरध्खाला चल रहा था के बंद हो जाने से म0 न0 9 के किला न0 16,17,18 व 21 में से होता हुआ मु0 न0 8 के किला न0 25.24 में मौके पर चल रहा है तथा इस रास्ता से ना केवल प्रार्थीयान बल्कि मन अप्रार्थी जिसका रकबा चक 9 एच बड़ा के मु0 न0 21 के किला न0 3,8,13 में भी स्थित है को आवागमन कर रहा है, यदि उपरोक्त रास्ता मौके पर चालू नहीं होता तो मन अप्रार्थी मु0 न021 के किला न0 3,8,13 के रकबा जिसको स्वयं प्रार्थीयान ने भी प्रार्थना–पत्र की मद सं0 1 में दर्ज किया*है के लिए भी कोई रास्ता ना होता, इस प्रकार वास्तव में प्रार्थीयान के मु0 न0 21 के लिए पहले से ही रास्ता मौजूद है। मन अप्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

मु0 न0 20 के किला न0 25 से 21 तक मौके पर कोई रास्ता नहीं चल रहा। पटवारी हल्का द्वारा जारी आंशिक नक्शा के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि मु0 न0 35 से रास्ता मु0 न0 26,19 व 10 में से मंजूर है तथा जमाबंदी का अवलोकन किया जावें तो यह स्पष्ट है कि मु0 न0 20 के किला न0 21 में अप्रार्थी के रकबा में से खाला का रकबा 2 बिस्वा कटा हुआ है तथा किला न0 22 ता 25 प्रत्येक किला सालम सालम अर्थात् प्रत्येक 0.253 हे0 नहरी दर्ज है, जो कि इंतकाल सं0 453/05.06.18 से दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थीयान को मु0 न0 20 के किला न0 21 ता 25 में से वास्तव में किसी रास्ता की आवश्यकता नहीं है, क्योकि धारा 251(क) आर टी एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि किसी काश्तकार के भूमि में पहुँचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है, तभी नया रास्ता स्वीकृत किया जावेगा, जबकि प्रस्तुत मामला में जब पहले से ही प्रार्थी के रकबा के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता जिसका ऊपर कथन किया गया है, मौजूद है तो कानूनन नया रास्ता की आवश्यकता का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रार्थना–पत्र की चरण सं0 3 के जवाब में निवेदन है कि चक 9 एच बडा के खाता सं0 43/45 की भूमि स्व० संता सिंह के नाम अवश्य दर्ज थी। प्रार्थना–पत्र की चरण सं0 4 के जवाब में निवेदन है कि संता सिंह ने चक 9 एच बडा के मु0 न0 20, 21 की वसीयत की थी, जिसके आधार पर ही इंतकाल सं0 453 दर्ज हुआ मगर इस इंतकाल में किसी प्रकार से अप्रार्थी के मु0 न0 20 के किला न0 21 ता 25 में किसी भूमि में कोई रास्ता दर्ज नहीं किया गया। प्रार्थीयान के मु0 न0 20,21 के रकबा के लिए मु0 न0 35 के किला न0 1 से मु0 न0 26,19,10 में से जो रास्ता स्वीकृतशुदा है से टर्न करते हुए मु0 न0 9 के किला न0 16, 17, 18, 19, 21 में कुतरी व मु० न0 8 के किला न0 25, 24 में कुतरी रास्ता पहले से ही मु0 न0 9, 8 में से नहर/खाला बंद हो जाने के कारण रास्ता चल रहा है तथा इसी रास्ते से ही अप्रार्थी भी अपने रकबा मु0 न0 21 के किला न0 3, 8, 13 में आवागमन कर रहा है, यदि यह रास्ता ना होता तो मन अप्रार्थी भी प्रार्थीयान के रकबा मु0 न0 21 के किला न0 25, 24, 17, 14 में से अपने रकबा मु0 न0 21 के किला न0 13, 8, 3 के लिए रास्ता स्वीकत करवाने के लिए कार्यवाही करता क्योंकि यदि प्रार्थीयान के रकबा मु0 न0 21 के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं होता तो अप्रार्थी के म0 न0 21 के उपरोक्त रकबा के लिए रास्ता की आवश्यकता होती तथा वह प्रार्थीयान की भूमि में से रास्ता की मांग करता। जहां तक संता सिंह की वसीयत में रास्ता छोडने का दर्ज किया हुआ है के जवाब में निवेदन है कि मु0 न0 20 के किला न0 21 ता 25 मन अप्रार्थी की खातेदारी है तथा वह खातेदारी भूमि में से कोई रास्ता में देने में सहमत नहीं है। दरअसल में पक्षकारान में अन्य विवाद श्रीमान न्यायालय में दावा अनवानी सुखविन्द्र सिंह आदि बनाम दर्शन सिंह आदि चल रहा होने के कारण अनुचित दबाव डालने की नियत से तथा रंजिशवंश यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान ने पेश किया है, जो कि खारिज करने योग्य है। इंतकाल सं0 543 प्रार्थीयान की सहमति से हुआ, यदि वास्तव में रास्ता चल रहा होता व मौके पर छोडा हुआ होता तो प्रार्थीयान इंतकाल के खिलाफ अपील पेश करते जबकि इंतकाल के खिलाफ कोई अपील पेश नहीं की गई। मौके पर मु0 न0 20 के किला न0 21 ता 25 में कोई रास्ता नहीं चल रहा है। संता सिंह के अपनी वसीयत में रास्ता के बारे में लिखने से मन अप्रार्थी किसी प्रकार से रास्ता देने के लिए पाबंद व जिम्मेवार नहीं कहा जा सकता। प्रस्तावित रास्ता से मन अप्रार्थी की भूमि कम होगी तथा उसकी बारी राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज होने से सिंचाई विभाग द्वारा काटा जाना आवश्यक होगा, जिससे मन अप्रार्थी को भारी नुकसान होगा, अतः वह किसी प्रकार से रास्ता के

लिए सहमत नहीं है क्योंकि रास्ता का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में गैर ममकिन दर्ज होने से मन अप्रार्थी को ही नुकसान होगा। संता सिंह के वसीयत में किसी नोट अंकित करने से मन अप्रार्थी कानूनन पाबंद नहीं हो जाता है। मु0 न0 20 के किला न0 21 ता 25 में कोई रास्ता नहीं चल रहा है, बल्कि प्रार्थीयान व मन अप्रार्थी तथा गांव के अन्य काश्तकारान म० न0 35 की आबादी से मु0 न0 35 के किला न0 10,1 तथा म० न० 26 के किला न0 21,20,11,10,1 व मु0 न0 19 के किला न0 21,20,11,10,1 तथा मु० न0 10 के किला न0 21 व 20 के स्वीकृत रास्ता से जो कि नक्शा में भी दर्शाया हुआ है होकर मु0 न0 9,8 आदि में जो नहर खाला बंद हो गया कि भूमि में चल रहे रास्ता से ही आवागमन कर रहे हैं। इस प्रकार प्रार्थीयान को पहले से उपरोक्त रास्ता की सुविधा उपलब्ध है, अतः कोई नया रास्ता ना तो कानूनन स्वीकृत किया जा सकता है, ना ही अप्रार्थी प्रस्तावित रास्ता के लिए सहमत है। शेष कथन भी गलत होने से स्वीकार नहीं है। धारा 251(ए) आर टी एक्ट में यह प्रावधान नहीं है कि अन्य रास्ता की सुविधा उपलब्ध होते हुए कोई नया व छोटा रास्ता स्वीकृत करवाया जा सकें। अगर यही पैमाना रास्ता स्वीकृति का माना जावे तो मन अप्रार्थी को प्रार्थीयान के मु0 न0 21 के किला न0 25,24 के दक्षिणी हिस्सा व किला न0 24,17,14 के पश्चिमी हिस्सा में अपने रकबा मु0 न0 8 के किला न0 13,8,3 के लिए छोटे व उपयुक्त रास्ता की आवश्यकता होगी तथा प्रार्थीयान की भूमि में से दिलाना आवश्यक होगा। अन्य वैकल्पिक उपचार पहले से चल रहे उपरोक्त स्वीकृत रास्ता के होते हुए नया रास्ता स्वीकृत नहीं करवाया जा सकता। तहसीलदार, पटवारी ने जानबूझकर व प्रार्थीया से मिलीभगत होने के कारण सही रिपोर्ट पेश नहीं की तथा ना ही कानून के प्रावधानों को सही रूप से समझा, जब पहले से रास्ता स्वीकृत हो तथा प्रार्थीयान, मन अप्रार्थी तथा गांव के अन्य काश्तकार आवागमन कर रहे हैं तो इस लय में पटवारी व तहसीलदार को रिपोर्ट में लिखना आवश्यक था। जानबूझकर पहले से स्वीकृत व प्रचलित रास्ता के बारे में नहीं लिखा गया। यदि प्रार्थीयान की मांग को स्वीकृत किया जावें जो कि स्वीकार नहीं तो मन अप्रार्थी इस जवाब जिसको काउंटर कलेम भी माना जावें के द्वारा अपने रकबा मु0 न0 21 के किला न0 13,8,3 के लिए प्रार्थीयान के रकबा मु0 न0 21 के किला न0 25,24 की दक्षिणी तरफ व किला न0 24,17,14 की पश्चिमी तरफ एक–एक बिस्वा रास्ता की मांग करता है, जिसको वह अपने रकबा मु० न0 20 के किला न0 25 से 21 के रास्ता की भूमि के मुआवजा की एवज में प्राप्त करने का हकदार होने से रास्ता स्वीकृत करने का आदेश फरमाया जावें क्योंकि यही अप्रार्थी के मु0 न0 21 की भूमि के लिए नजदीकी व सुविधाजनक होगा।

प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट मुताबिक जमाबदी सम्वत 2069–72 चक 9एच बडा के खाता सख्या 43/45 क मु० न0 20 के किला न0 17/2=0.127, 18/0.253, 19/0.253, 20/0.228, 21/0.253, 22 ता 25/1.012, कल 2.151 नहरी मय खाला एवं मु० न० 21 के किला न0 3/0.063, 8/0.253, 13/0.139 कुल 0.455 हैक. नहरी मय खाला, श्री कुलदीप सिंह पुत्र दर्शन सिह जाति जटसिख साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है, जो भारतीय स्टेट बैंक शाखा जे.सी.टी. मिलस श्रीगगानगर के नाम रहन जिसको पक्षकार बनाया गया है। जमाबन्दी की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित है। प्रार्थी के द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा कोई अन्य सुविधाजनक रास्ता का विकल्प नहीं है। पूर्व मे उक्त जगह पर पुलिया भी है मौका नक्शा सलग्न है। इसी मु0 न0 20 के लिए पूर्व में कोई स्वीकृत शुदा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

रास्ता नही है। प्रार्थी को अन्य खातेदार की भूमि मे से रास्ता दिया जाता है तो उसके बदले में माननीय न्यायालय के निणर्य के अनुसार रास्ता मे आई भूमि के बदले जमीन अथवा डी एल सी की दुगनी राशि जमा करवाने हेतू प्रार्थी के द्वारा शपथ पत्र लिया जाना उचित होगा।

विद्वान अभिभाषकण की बहस सुनी गई। पत्रालवी पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब मय कांउटरक्लेम का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के पश्चात् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया गया।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के रकबा चक 9–एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 21 व 20 में आने–जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के रकबा चक 9–एच बड़ा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21–22–23–24–25, प्रत्येक में से 1–1 बिस्वा रास्ता, यानि 8.25 फुट चौड़ाई में पत्थर लाईन के साथ–साथ एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ते के मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे। जमा राशि तहसीलदार जिसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है उसको अपने स्तर से वितरित करेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 21.10.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2019.11.11 13:14:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: